कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मथुरा

निविदा सूचना

पत्रांकः 223/XV दिनांक : 09 फरवरी, 2016

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ई–कोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जनपद न्यायालय, मथुरा के विभिन्न न्यायालयों में स्थापित यू0पी0एस0 में प्रयोग हेतु निम्नलिखित विशेष वर्णन (स्पेशीफिकेशन) के अनुसार (पुरानी बैटरी वापिसी के अनुसार एवं बिना वापिसी के अनुसार) अलग–अलग प्रकार से बैटरी कय किये जाने एवं स्वयं के व्यय से न्यायालय में पहुँचाकर यू.पी.एस. में लगाने हेतु पुनः मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :–

निविदा का विवरण :

कमांक	बैटरी का विशेष वर्णन (स्पेशीफिकेशन)– कम से कम 120 मिनिट बैक–अप	मात्रा
1	500 वी.ए. यू0पी0एस0 के लिये एक्साइड / एमरोन / क्वान्टा अथवा अन्य कोई प्रतिष्ठित ब्राण्ड की 12 वोल्ट, 26.ए.एच. की बैटरी, 2 वर्ष की गारण्टी सहित।	152
2	2 के.वी.ए. यू0पी0एस0 के लिये एक्साइड / एमरोन / क्वान्टा अथवा अन्य कोई प्रतिष्ठित ब्राण्ड की 12 वोल्ट, 28.ए.एच. की बैटरी, 2 वर्ष की गारण्टी सहित।	16

मोहरबंद निविदायें पंजीकृत निविदादाताओं द्वारा जमा करायी जा सकती है। निविदा दाताओं को अवगत कराया जाता है कि निविदा में किसी प्रकार की अनियमितता होने पर निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश, मथुरा को निहित होगा।

नियम व शर्तें :–

1. उक्त निविदा हेतु इच्छुक व्यक्ति / संस्था किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से सायं 05:00 बजे तक उक्त निविदा के सम्बन्ध में न्यायालय परिसर स्थित **आई.सी.टी. कक्ष (कम्प्यूटर कक्ष)**, न्यायालय की बेवसाईट e-court.gov.in/Mathura तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की बेवसाईट www.allahabadhighcourt.in से जानकारी प्राप्त कर सकते है।
2. उक्त निविदा हेतु इच्छुक व्यक्ति / संस्थान सभी कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक एवं दिनांक 22 फरवरी, 2016 को सायं 02:00 बजे तक निविदा प्रपत्र गैर वापसी शुल्करू0 100 / –की धनराशि से **न्यायालय परिसर स्थित आई.सी.टी.कक्ष (कम्प्यूटर कक्ष)** से कय कर सकते हैं तथा सायं 04:00 बजे तक निविदायें जमा करा सकते हैं। सभी निविदा दाताओं को अवगत कराया जाता है कि वे निविदा मूल्य में सभी टैक्स सम्मिलित कर निविदा प्रपत्र जमा करायें।
3. निविदा के साथ 1 प्रतिशत की दर से धरोहर राशि जमा कराया जाना आवश्यक है। धरोहर धनराशि एन0एस0सी0 / राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 / डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में, जो कि जनपद न्यायाधीश, मथुरा के पक्ष में देय होगें एवं जिनका निविदा की तिथि से 6 माह के लिए वैध होना अनिवार्य है।
4. बैटरियों को स्वयं के व्यय से न्यायालय में पहुँचाकर यू.पी.एस. में लगाने तक का दायित्व निविदा दाता का होगा।
5. आपराधिक रिकार्ड वाले निविदा दाताओं को निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
6. प्राप्त निविदायें दिनांक 22 फरवरी, 2016 को न्यायालय परिसर, मथुरा के केन्द्रीय कक्ष में उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष सायं 04:30 बजे खोली जाएंगी।
7. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होंगी एवं जनपद न्यायाधीश, मथुरा को किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
8. एक बार दी गयी निविदा वापस नहीं ली जा सकती हैं एवं निविदा स्वीकृत होने की दशा में एक माह के अन्दर आपूर्ति करना आवश्यक होगा।
9. समस्त विवादों, यदि कोई हो, का न्याय क्षेत्र जिला न्यायालय मथुरा में होगा।

कार्यालय जिला न्यायाधीश, मथुरा
पत्रांक 254/XV दिनांक 15/02/2016
अग्रसारित
जिला न्यायाधीश 15/2/16
मथुरा

9/2/2016
अध्यक्ष, कय समिति /
अपर जिला जज, मथुरा